राजस्थान सरकार
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

15

क्रमांक: JOD/2019-20/BPAS/1681 दिनांक 29/01/2020

विषय: EDUCATIONAL SINGLE PLOT,AANGANWA (आवेदित भूखण्ड का विवरण) के भवन मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग: आपका आवेदन पत्र JOD/2019-20/BPAS/1681 (Application ID)

श्री / श्रीमती **SHEETAL ATUL SINGH W/O ATUL SANKHLA** फर्म का नाम **RAJASTHAN EDUCATIONAL WALFARE TRUST JODHPUR THROUGH CHAIRMAN** निवासी **MAGRA PUNJLA JODHPUR**

उपरोक्त विषय अन्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा भवन मानचि त्र अनुमोदन / निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत भवन मानचि त्र ों के परीक्ष्ण उपरान्त में निम्न शर्तो के साथ भवन मानचित्रों स्वीकृत किये जाते है:–

1.यह अनुज्ञा शेक्षणिक (स्कूल) प्रयोजनार्थ हेतु जारी की जा रही है।

2.भवन निर्माण अनुज्ञा की अवधि, लीजडीड मे उल्लेखित अवधि या सात वर्ष जो भी कम हो, देय होगी। एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 15.1 के अनुसार अनुज्ञा प्राप्ति के दो वर्ष मे भवन का निर्माण प्रारंभ करना होगा तथा धारा 15 की अन्य शर्ता की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

3.भवन निर्माण स्वीकृति मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लधन नही किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का उल्लंधन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वयः ही निरस्त मानी जायेगी।

4.भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत मानचित्र मास्टर प्लान / जोनल प्लान / भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंधन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण द्वारा भवन मानिचित्रों की दी गयी अनुज्ञा को रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हक नहीं होगा।

5.एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें आयुक्त / उपायुक्त सम्बन्धित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन शर्तों अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।

6.भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं संबंधित उपायुक्त, जोधपुर विकास प्रधिकरण को निर्धारित प्रपत्र मे सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

7.एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करनें व

Scanned with CamScanner

जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।

8.उक्त स्वीकृत के कारण यदि जोधपुर विकास प्रधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी अथवा संबंधित अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही मे कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिये बाध्य होगा।

9.स्वामी भवन परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग मे लेगा।

10.तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण मे स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध मे सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनिकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र मे प्राधिकरण को देनी होगी।

11.एकीकृत भवन विनियम, 2017 की अनुपालना मे 15 मीटर से उचे भवन मे नियमानुसार भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावें।

12.एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 18.3 की अनुपालना मे "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गयी स्वीकृति स्वय निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"

13.प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात् यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।

14.अनुमोदित भवन मानचिंत्रों को भवन निर्माण शरू किये जाने के समय निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पुर्ण ब्यौरा संहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सडक की और) लगाया जावें जिसमे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

15.भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री के आसपास के भवन निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निमार्ण के दौरान चारो ओर पर्दे लगवायें जायें।

16.अनुमोदित भवन मानचित्रो से अतिरिक्त निर्माण किसी भी सूरत में नही किया जायेगा। यदि प्रार्थी बिना स्वीकृती निर्माण किया जाता है, तो उसे ध्वस्त करने का अधिकार जोधपुर विकास प्राधिकरण को होगा।

17.एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 18.4 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये संबंधित निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।

18.उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं एकीकृत भवन विनियम, 2017 अनुसार भवन निमार्ण से सम्बन्धित अन्य सभी शर्तों का पालन केया जाना होगा, उक्त की पालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

Scanned with CamScanner

प्रश्नगत भूखण्ड के भवन मानचित्र ओफलाईन जारी किये जा रहे हैं अतः सिस्टम द्वारा यदि ओनलाईन भवन मानचित्र जारी किये जाते है तो वह मान्य नही होंगे।

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की आज्ञा से सचिव,

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

Signature valid

Digitally Signed by OM PRAKASH PAREEK
Designation : ADDITIONAL CHIEF TOWN PLANNER
Date: 2020.01.29 11:08:42 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

नोटः यह एक डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है और इसके लिए किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

Scanned with CamScanner